Date : 9 मई 2023

भारत का कृषि निर्यात

संदर्भ- हाल ही में वर्ष 2022-23 का कृषि निर्यात रिकॉर्ड किया गया जो वर्ष 2021-22 के रिकॉर्ड से अधिक था। वाणिज्य विभाग के अनंतिम आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 के दौरान कुल कृषि निर्यात 53.15 अरब डॉलर और आयात 35.69 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के क्रमश: 50.24 अरब डॉलर और 32.42 अरब डॉलर के रिकॉर्ड को पार कर गया।

भारत की कृषि व्यवस्था

- भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है जिसका अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान रहता है।
- भारत के व्यापार में कृषि का योगदान 64.5% है। जो भारत की आय में लगभग 27.4% का योगदान देता है।
- भारत अपने कुल निर्यात का लगभग 18% कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है।

कृषि निर्यात आंकड़े

समुद्री उत्पाद – समुद्री उत्पाद का भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें फ्रोजन फिश, फ्रोजन कटल फिश, अन्य और फ्रोजन स्कवीड, इत्यादि निर्यात किए जाते है। समुद्री उत्पादों का निर्यात 2013-14 के 5.02 अरब डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 8.08 अरब डॉलर हो गया है।

India's top Agri Export items in $ million

Product	2020-21	2021-22	2022-23
Marine products	5962.39	7772.36	8077.97
Non-basmati rice	4810.8	6133.63	6355.75
Sugar	2789.91	4602.65	5770.64
Basmati rice	4018.41	3537.49	4787.5
Buffalo meat	3171.13	3303.78	3193.69
Raw cotton	1897.21	2816.24	781.43
Fruits & vegetables	1492.51	1692.48	1788.65
Oilmeals	1585.04	1031.94	1600.9
Wheat	567.93	2122.13	1519.69
Processed F&V	1120.26	1190.59	1417.08
Oilseeds	1235.67	1113.65	1337.95

Castor oil	917.24	1175.5	1265.64
Tobacco	876.71	923.57	1213.37
Other cereals	705.38	1087.39	1193.47
Coffee	719.66	1020.74	1146.17

चावल- भारत नदी प्रधान देश है जिसमें नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से उपजाउ भूमि बहुतायत मात्रा में मिल जाती है। तथा अत्यधिक नदियाँ होने के कारण चावल का उत्पादन बड़ी मा ात्रा में होता है। भारत विश्व में चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
चावल का निर्यात भी 7.79 अरब डॉलर से बढ़कर 11.14 अरब डॉलर हो गया है। लेकिन यह गैर-बासमती चावल (दोगुने से अधिक, $2.93 बिलियन से $6.36 बिलियन) द्वारा संचालित किया गया है, प्रीमियम-कीमत वाले बासमती शिपमेंट का मूल्य वास्तव में घट रहा है ($4.86 बिलियन से $4.79 बिलियन)।

- बासमती का निर्यात मुख्य रूप से फारस की खाड़ी के देशों और कुछ हद तक अमेरिका और ब्रिटेन को होता है।
- एशिया (बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात और इराक) और अफ्रीका (सेनेगल, आइवरी कोस्ट और बेनिन से सोमालिया और मेडागास्कर) में फैले गंतव्यों के साथ गैर-बासमती शिपमेंट अधिक विविध हैं। गैर-बासमती चावल के निर्यात के कारण भारत, थाईलैंड से बड़ा चावल निर्यातक बन गया है।

चीनी – भारत ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। वित्त वर्ष 2010-11 के बाद से, भारत निरंतर चीनी का अधिशेष उत्पादन करता रहा है और आराम से घरेलू आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता रहा है। 2017-18 में मात्र 810.90 मिलियन डॉलर से 2019-20 में 1.97 बिलियन डॉलर, 2020-21 में 2.79 बिलियन डॉलर, 2021-22 में 4.60 बिलियन डॉलर और 2022-23 में 5.77 बिलियन डॉलर की निरंतर वृद्धि हुई है।

- भारतीय मिलों ने कच्ची चीनी (बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब और इराक में रिफाइनरियों के बीच) और नियमित वृक्षारोपण सफेद (अफ्रीकी देशों, अफगानिस्तान, श्रीलंका और चीन में) दोनों के लिए बाजारों का निर्माण किया है।

मसाले- भारत के कृषि योगदान में हमेशा से मसालों का विशेष योगदान रहा है, हाल ही में मसालों के निर्यात के आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है। मसालों का निर्यात 2013-14 के 2.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020-21 में लगभग 4 बिलियन डॉलर हो गया।

- काली मिर्च और इलायची जैसे पारंपरिक रोपण मसालों से नहीं, बल्कि मिर्च, पुदीना उत्पादों, जीरा, हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ और अन्य बीज आदि।

बीफ- भारत से बीफ के निर्यात का सर्वदा विरोध होता रहा है, इसका कारण भारतीय संस्कृति में पशु विशेषकर गाय को लेकर लोग संवेदनशील हैं। किंतु वियतनाम व कंबोडिया में निर्यात होने वाला बीफ, भैंस का मांस भारत के व्यापार में विशेष गति देता है। भैंस के मांस का निर्यात 2022-23 में 4.78 अरब डॉलर तक पहुँच गया था।
कपास- भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2023 में कपास का निर्यात 781.43 मिलियन डॉलर रहा जबकि 2011-12 में इसका निर्यात 4.33 बिलियन डॉलर था। भारत का सर्वाधिक कपास निर्यात यूरोपीय देशों में होता है किंतु इस वर्ष यूरोप में मंदी के कारण कपास के निर्यात में कमी की संभावना है।

कृषि आयात आंकड़े

वनस्पति तेल- भारत के आयातित वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वनस्पति तेल का है। वनस्पति तेल का भारत में आयात प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। 2020-21 में 11089.12 मिलियन डॉलर था और 2022-23 में यह 20837 मिलियन डॉलर हो गया है। भारत के वनस्पति तेल की आवश्यकता का 60% आयात किया जाता है

Yojna IAS योजना है तो सफलता है yojnaias.com

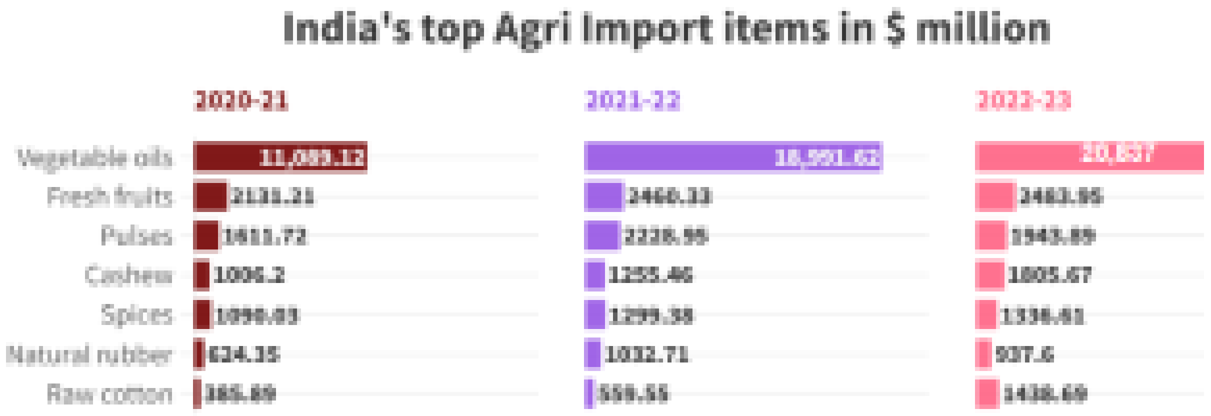

ताजा फल – भारत की विविध जलवायु ताजा फल और सब्जियों के सभी किस्मों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। यह चीन के बाद विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।

- वर्ष 2020-21 के दौरान, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बागवानी डेटाबेस (दूसरा अग्रिम अनुमान) के अनुसार भारत में फलों का उत्पादन 102.48 मिलियन मीट्रिक टन व सब्जियों का उत्पादन 200.45 मिलियन मीट्रिक टन हुआ।
- इसका आयात 2019-20 और 2022-23 के बीच 9.67 अरब डॉलर से 20.84 अरब डॉलर हो गया है।

दाल- दालों के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता लगभग 10% रह गई है, आयात का मूल्य भी 2016-17 में $4.24 बिलियन (6.7 मिलियन टन) से घटकर 2022-23 में $1.94 बिलियन (2.5 मिलियन टन) हो गया है।

भारतीय निर्यात से संबद्ध चुनौतियां

बुनियादी ढ़ाचे की कमी- भारत एक विकासशील देश है जहां बुनियादी ढांचे के निर्माण की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण परिवहन और निर्यात खर्च महंगा साबित होता है।

नवाचार की कमी- भारतीय व्यापार को मजबूत करने के लिए नवाचार और अनुसंधान में निवेश आवश्यक है। वैश्विक नवाचार में भारत अब भी 57वे स्थान पर है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

दक्षिण पश्चिमी मानसून- भारत में मानसून का समय जून से सितंबर माह तक रहता है यदि इस समय भारत में कम बारिश रहती है तो भारत के निर्यात में इसका नकरात्मक प्रभाव पड़ता है।

एथेनॉल का निर्माण- भारत में ईंधन हेतु एथेनॉल के निर्माण के लिए कई खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी जिसके कारण टूटे चावल, गन्ना के निर्यात में कमी की गई है, तथानिर्अात शुल्क को बढ़ा दिया गया है, जिससे भारत के निर्यात में कमी आई है।

वर्तमान उपज व रकबा- भारत में एक लम्बे समय से फसल उत्पादन क्षेत्र में कमी आ रही है, अर्थात लोग कृषि व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, जिसके कारण भारत का अत्यधिक उपजाउ क्षेत्र व्यर्थ जा रहा है। इसके साथ जलवायु परिवर्तन के साथ फसलों के समय कई क्षेत्रों में बाढ़ व कई क्षेत्रों में सूखे की समस्या बनी रहती है।

आगे की राह

- भारत में बुनियादी ढांचों जैसे परिवहन संसाधनों का निर्माण करने की आवश्यकता है।
- कृषि क्षेत्र के अनुसंधान व नवाचार में निवेश कर देश की कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है,
- इसके साथ ही भारत में रकबा को बढ़ाने के लिए मूल्यवर्धित फसलों के उत्पादन के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

स्रोत

Indian Express

Gunjan Joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

खाद्य व्यवसायों में दावे और विनियमन

संदर्भ- हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की विज्ञापन निगरानी समिति ने भ्रामक दावों और विज्ञापनों को बनाने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) के 32 नए मामलों को सूचित किया गया। वे खाद्य सुरक्षा व मानक विनियम 2018 का उल्लंघन कर रहे थे। प्राधिकरण के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या 170 हो गई है।

- खाद्य नियामकों के अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य पूरक, जैविक उत्पाद, तेजी से चलने वाले उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) उत्पादों और स्टेपल जैसे विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों की जांच की, प्रत्येक कुछ स्वास्थ्य और उत्पाद दावों का समर्थन करता है।
- कथित उल्लंघनकर्ताओं में कई न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों, रिफाइंड तेल, दाल, आटा, बाजरा उत्पाद और घी के निर्माता और/या विपणक शामिल हैं।
- ये सभी दावेदार स्वास्थ्य लाभ से संबंधित कई दावे करते हैं, जो झूठे पाए गए हैं।

खाद्य पदार्थों के प्रचार के लिए में रोग प्रतिरोधक होने के साथ ही कई अन्य दावे किए जा रहे हैं,

प्राकृतिक होने का दावा-

एक खाद्य उत्पाद को 'प्राकृतिक' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है यदि यह एक मान्यता प्राप्त प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त एकल भोजन है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है। इसे केवल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए संसाधित किया जाना चाहिए था। पैकेजिंग भी रसायनों और परिरक्षकों के बिना की जानी चाहिए।

समग्र खाद्य पदार्थ, पौधे और प्रसंस्कृत घटकों के मिश्रण को 'प्राकृतिक' नहीं कहा जा सकता है, इसके बजाय, वे 'प्राकृतिक अवयवों से बने' कह सकते हैं।

ताजा होने का दावा-

उत्पादों में 'फ्रेश' शब्द का उपयोग केवल उन उत्पादों के लिए किया जा सकता है, जिन्हें धुलने, छीलने, ठंडा करने, काटने या खाद्य विकिरण के अलावा किसी भी तरीके से संसाधित नहीं किया जाता है।

(खाद्य विकिरण एक भौतिक प्रक्रिया है जो अंकुरित होने, पकने में देरी, और कीड़ों/कीड़ों, परजीवियों और खराब होने वाले सूक्ष्मजीवों को मारने जैसे प्रभावों को प्राप्त करने के लिए विकिरण ऊर्जा की नियंत्रित मात्रा का उपयोग करती है।)

यदि प्रसंस्करण उत्पाद के शेल्फ-जीवन में विस्तार प्राप्त करने का प्रयास करता है (आमतौर पर मांस के लिए) तो उसे 'ताजा' या 'फ्रेश' नहीं कहा जा सकता। 'फ्रेश'के बजाय 'फ्रेशली फ्रोजन', 'फ्रेश फ्रोजन', या 'फ्रेश फ्रॉम फ्रोजन' का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि ताजा होने पर यह फ्रोजन था।

'शुद्ध' और 'Pure' का दावा-

'शुद्ध' का उपयोग एकल-घटक खाद्य पदार्थों के लिए किया जाना है जिसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है और जो सभी परिहार्य संदूषण (टालने योग्य मिलावट) से रहित हैं। यौगिक खाद्य पदार्थों को 'शुद्ध' के रूप में वर्णित नहीं

किया जा सकता है, लेकिन यदि वे उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें 'शुद्ध सामग्री से बना' कहा जा सकता है।

पोषण संबंधित दावे-

किसी उत्पाद की विशिष्ट सामग्री की तुलना किसी अन्य खाद्य पदार्थों से की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि उत्पाद में प्रयुक्त पोषक तत्व, मूल खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों के तुल्य है। किंतु इसके लिए दावा किए जाने वाले उत्पाद में पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए।

झूठे दावों से संबंधित उत्पाद हेतु प्रावधान-

खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 जो विशेष रूप से भोजन (और संबंधित उत्पादों) से संबंधित है। इसका उद्देश्य देश के विविध खाद्य पदार्थों के बाजार में निर्धारित मानकों को बनाए रखना है। इसके साथ ही यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी जांच करता है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के नियम माल, उत्पादों और सेवाओं को कवर करते हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उसे लागू करना है।

CCPA के अधिकार-

- उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करने और संस्थानों के प्रति शिकायतों/अभियोजनों,
- असुरक्षित वस्तुओं/ सेवाओं को वापस करने,
- भ्रामक विज्ञापनों को बंद करवाने का आदेश देने,
- भ्रामक विज्ञापनों के लिए विनिर्माताओं/समर्थनकर्ताओं/प्रकाशकों पर जुर्माना लगाना।

केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन कोड यह निर्धारित करते हैं कि विज्ञापनों को यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि इसमें "कुछ विशेष या चमत्कारी या अलौकिक संपत्ति या गुणवत्ता है, जिसे साबित करना मुश्किल है।"

एफएसएस अधिनियम, 2006 में अधिनियमित अनुमति के बिना किसी भी रोग या महामारी के उपचार के लिए किसी भी उत्पाद की उपयुक्तता या दावे का प्रचार नहीं किया जा सकता है।

स्रोत

The Hindu

Gunjan Joshi

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com